कार्यालय, आयुक्त,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
:: संचालनालय ::
ब्लॉक–डी, भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

क्रमांक/आदि0यो0/03/2020–21/ नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक

गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान
वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु द्वितीय विज्ञापन

–0–

छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले **एक व्यक्ति या एक स्वैच्छिक संस्था को सम्मानित कर** प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा "गुरू घासीदास की स्मृति में प्रदेश स्तर का सम्मान प्रदान किया जाता है।" सम्मान के अंतर्गत **रूपये दो लाख नगद राशि एवं प्रतीक चिन्ह युक्त प्रशस्ति** पटि्टका दिये जाने का प्रावधान है। इस सम्मान हेतु आवेदन पत्र/प्रविष्टियां बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा **दिनांक 23.11.2020 कार्या0 समय सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।** पूर्व में आवेदन/प्रविष्टियॉ जमा कर चुके आवेदकों को पुनः आवेदन/प्रविष्टियॉ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

2/ प्रविष्टियां/आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया के मापदण्ड :–

सम्मान के लिए प्रविष्टियां/आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किए जा सकते है :–

1. व्यक्ति/संस्था का पूर्ण परिचय ।
2. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के लिए किये गये कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी ।
3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण ।
4. सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित) ।
5. अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य ।
6. व्यक्ति/संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीनतम (ताजा) प्रमाण पत्र ।
7. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति/संस्था की सहमति।
8. ज्यूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा व्यक्ति/संस्था के कार्यो के प्रत्यक्ष आकलन के संबंध में सहमति ।
9. चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होगी ।
10. एक बार चयन नही होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति/संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नही हैं।
11. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
12. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा । इस मामलें में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जायेगा।
13. प्रविष्टियॉ/आवेदन पत्र के लिफाफे पर "गुरूघासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान **वर्ष 2020" अंकित होना चाहिए।**
14. योजना नियम की प्रति विभागीय वेबसाईट www.cgtribal.gov.in पर उपलब्ध है।

3/ संस्था/व्यक्ति को आवेदन में इस आशय की अण्डरटेकिंग देना होगा कि ज्यूरी अथवा उसके किसी भी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था/व्यक्ति के कार्यो का प्रत्यक्ष आंकलन किया जा सकता है। इस हेतु वे (संस्था/व्यक्ति) सहमत हैं। इसी प्रकार चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने की सहमति देनी होगी।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)